



2026:AHC:18567

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट याचिका-सी संख्या - 250 सन् 2026

तेजपाल सिंह याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : राजेश कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, कौशल किशोर मणि

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया,

1. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है:

Iii (i). प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए उत्प्रेषण प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए। यह आदेश वाद संख्या 5802/2025 कम्प्यूटरीकृत संख्या Dfd D202509600005802 (तेजपाल बनाम ग्राम सभा) में धारा 67 (5) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत पारित किया गया था, साथ ही तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित आदेश को भी निरस्त किया जाए। यह आदेश वाद संख्या 00097/2018 कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या T T201809600500097 (ग्राम सभा, जंधेरा समसपुर बनाम तेजपाल) में धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत पारित किया गया था। राजस्व संहिता 2006, (रिट याचिका के अनुलग्नक संख्या 1 और 2)।

(ii). प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को यह आदेश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वे वर्तमान रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को उसके आवास से बेदखल न करें।

2. रिट याचिका में संक्षेप में दिए गए तथ्य इस प्रकार हैं कि लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई, जिसे वाद संख्या 00097/2018 के रूप में पंजीकृत किया गया। उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 3/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर ने दिनांक 12.07.2024 को

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



याचिकाकर्ता को विवादित भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया। इस आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67(5) के तहत अपील दायर की। 2006 का वाद संख्या 5802/2025 कम्प्यूटरीकृत संख्या DD202509600005802 (तेजपाल बनाम ग्राम सभा) प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के समक्ष था और उपरोक्त अपील को भी प्रतिवादी संख्या 2/जिला मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दिनांक 10.11.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था, इसलिए यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. अन्य कई तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा एक तर्क यह भी उठाया गया है कि उपर्युक्त आदेश **ऋषिपाल सिंह और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले जो 2023 (1) ए.डी.जे. 154** में प्रकाशित हुआ था में पैरा-74 में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, , इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय का अनुच्छेद-74 इस प्रकार है:-

"74. अतः, मेरी राय में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67, 67ए और 26 के अंतर्गत कार्यवाही के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, अधिकारियों द्वारा उचित दृष्टिकोण अपनाना और किसी दीर्घकालिक कब्जे को हटाने और किसी निर्दोष ग्रामीण को अनावश्यक रूप से परेशान करने के दुर्भावनापूर्ण और कुटिल इरादे से की गई हर शिकायत को रोकना है:

(i) आरसी प्रपत्र 19 पर की गई शिकायत के मामले में, शिकायत करने वाला अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियों के आलोक में उचित सर्वेक्षण किया गया है; जिस भूमि पर कब्जा अनधिकृत पाया गया है, उसका सटीक माप हो और ऐसा ही सर्वेक्षण में भी दर्शाया गया हो जैसा कि भूमि राजस्व सर्वेक्षण विनियम, 1978 के अनुसार पैमाने पर तैयार किए गए मानचित्र में दिखाया गया है; सर्किल दर के आधार पर क्षति का सटीक आकलन किया जाए विवरण सहित उस आधार पर गणना की गई।

(ii) स्वतः संज्ञान के मामले में, आरसी फॉर्म 20 जारी करने से पहले, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि आरसी फॉर्म 19 पर उचित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जैसा कि ऊपर पैरा (i) में उपनियम 1 नियम 67 के मापदंडों के अनुसार है।

(iii) आरसी फॉर्म 20 के साथ रिपोर्ट और मौके पर सर्वेक्षण की एक प्रति संलग्न होनी चाहिए

जो आरसी फॉर्म 19 के साथ उस व्यक्ति को प्रस्तुत की गई हो जिसके विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई है, या स्वतः संज्ञान के मामले में ऊपर पैरा (ii) के अनुसार प्रस्तुत की गई हो।

(iv) नोटिस का उत्तर दाखिल होने पर, यदि प्राधिकारी को लगता है कि मौके पर सर्वेक्षण/स्पष्टीकरण रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, तो वह पीड़ित पक्ष की उपस्थिति में एक नई मौके की रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दे सकता है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(v) यदि आपत्ति में धारा 67-ए के तहत वैधानिक संरक्षण/लाभ का दावा शामिल है, तो प्राधिकारी को ग्राम सभा से आपत्ति आमंत्रित करनी चाहिए और धारा 67 के तहत मामले के साथ ही इसका निर्णय करेगा, पीड़ित पक्ष को धारा 67-ए के तहत अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(vi) यदि रिपोर्ट रिकॉर्ड में स्वीकार कर ली जाती है, भले ही कोई आपत्ति दर्ज न की गई हो, तो प्राधिकारी को रिपोर्ट तैयार करने वाले व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी, ताकि वह अपने बयान से रिपोर्ट को प्रमाणित कर सके, और पीड़ित पक्ष को उससे जिरह करने का अधिकार होगा।

(vii) प्राधिकारी को प्रासंगिक अधिनियम और नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर मामले का निर्णय करने का प्रयास करना चाहिए और पक्षों को नियमित रूप से स्थगन देने से बचना चाहिए।

(viii) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के तहत अपील के मामले में, जो निर्धारित समय के भीतर अंतरिम राहत आवेदन के साथ दायर की गई हो, अंतरिम राहत आवेदन का निर्णय यथासंभव दो सप्ताह के भीतर दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना देकर किया जाना चाहिए। जहां सहायक कलेक्टर-प्रथम श्रेणी के समक्ष धारा 67-ए के तहत निपटान की दलील दी गई हो, और कुल क्षतिपूर्ति का कम से कम 25% क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया हो और संबंधित भूमि पर कोई और निर्माण न करने का वचन पत्र दाखिल किया गया हो, तो अधिकारियों, जिनमें नागरिक प्रशासन भी शामिल है, को अंतरिम राहत आवेदन के निपटारे तक अपील के विरुद्ध आदेश के अनुसार कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से बचना चाहिए। अपीलीय प्राधिकारी अपील दाखिल करने के पहले ही दिन अंतरिम राहत देने पर भी विचार कर सकता है, यदि अपीलकर्ता द्वारा उपरोक्त शर्तें पूरी की जाती हैं।

(ix) अपीलीय प्राधिकारी को यथासंभव अपील का निर्णय उसके प्रस्तुत किए जाने के दो महीने के भीतर करना चाहिए।

4. इस तथ्य को प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने भी स्वीकार किया है।

5. इसी के मद्देनजर, चूंकि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश, मामला संख्या 5802/2025 कंप्यूटरीकृत संख्या DD202509600005802 (तेजपाल बनाम ग्राम सभा) धारा 67 (5) के तहत, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, साथ ही प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तहसील रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर द्वारा दिनांक 12.07.2024 को पारित विवादित आदेश, वाद संख्या 00097/2018 कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T T201809600500097 (ग्राम सभा जंडेरा समासपुर बनाम तेजपाल) धारा 67 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत पारित किए गए कानून, ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) मामले में निर्धारित प्रक्रिया का पूर्ण उल्लंघन करते हुए पारित किए गए थे, इसलिए इन्हें रद्द किया जाना चाहिए और एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

6. रिट याचिका स्वीकार की जाती है और मामले को प्रतिवादी संख्या 3-तहसीलदार/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसील रामपुर मनिहारन, जिला सहारनपुर के समक्ष वापस भेजा जाता है ताकि इस न्यायालय द्वारा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ऋषिपाल सिंह (उपरोक्त) मामले में दिनांक 02.12.2022 के निर्णय और आदेश के पैराग्राफ-74 में की गई टिप्पणियों के मद्देनजर शीघ्र ही नया आदेश पारित किया जा सके।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

21 जनवरी, 2026

सकलैन

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"